



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



22 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 561 राँची, बुधवार,

13 सितम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

12 सितम्बर, 2023

संख्या-04/नियुक्ति नियमावली-01-01/2014 का. 5159--'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद द्वारा "झारखण्ड प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2015" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (i) यह नियमावली "झारखण्ड प्रशासनिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023" कहलाएगी ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन के तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 3747 दिनांक 23.04.2015 द्वारा गठित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2015 के नियम-17(क)(ii) में निम्नांकित प्रावधान था :-

“सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे सरकारी सेवक भाग लेंगे, जिनकी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हुई है तथा अराजपत्रित अनुसचिवीय संवर्ग (ग्रुप ख), जैसा कि झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 30, परिशिष्ट-5 में परिभाषित है, में कार्यरत हो एवं सेवा उत्कृष्ट कोटि की हो तथा धारित पद का ग्रेड वेतन उप समाहर्ता के स्वीकृत ग्रेड वेतन से कम हो। संबंधित कर्मी निलम्बित नहीं हों, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही संचालित नहीं हो तथा सेवाकाल में कोई दण्ड अधिरोपित नहीं किया गया है।”

उपरोक्त को निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे सरकारी सेवक भाग लेंगे, जिनकी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा एवं अनुकम्पा के माध्यम से हुई है तथा अराजपत्रित अनुसचिवीय संवर्ग (ग्रुप ख), जैसा कि झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 30, परिशिष्ट-5 में परिभाषित है, में कार्यरत हो एवं सेवा उत्कृष्ट कोटि की हो तथा धारित पद का ग्रेड वेतन उप समाहर्ता के लिए स्वीकृत ग्रेड वेतन से कम हो। सम्बन्धित कर्मी निलम्बित नहीं हो, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही संचालित नहीं हो तथा सेवाकाल में कोई दण्ड अधिरोपित नहीं किया गया है।”

3. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2015 के शेष नियम यथावत रहेंगे ।

4. विभागीय संलेख ज्ञापांक 4966 दिनांक 01.09.2023 के द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 06.09.2023 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या- 37 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
